



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234087
CG-DL-E-11032022-234087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1018]
No. 1018]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2022/फाल्गुन 19, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2022/PHALGUNA 19, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

का. आ. 1050(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4356(अ) तारीख 03.09.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.10.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मेघालय राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर - पानीसागर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
सी.डी. ब्लोक : मौर्यगकनेंग		जिला : इस्ट खासी हील्स	राज्य : मेघालया		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
31.	डीएंगपासोह जरोइत	बी48/001	00	10	03
		बी48/002	00	17	26
		बी48/003	00	20	31
		नोंगथीम्मइ नदी	00	04	06
		बी49/003	01	37	45
		नाला	00	02	21
		कच्चा रास्ता	00	00	60
		बी50/004	00	28	41
		बी50/005	00	12	83
		बी50/006	00	21	21
		कच्चा रास्ता	00	01	00
		बी50/007	00	01	73
		बी50/008	00	05	42
		बी50/009	00	06	99
		बी50/010	00	13	74
		बी50/011	00	13	71

	डीएंगपासोह जरोइत	वाह देवलोग नाला	00	02	03
	(जारी...)	बी50/012	00	00	20
		बी50/013	00	04	96
		कच्चा रास्ता	00	01	31
		वाह देवलोग नाला	00	07	32
		बी50/014	00	21	06
		बी50/015	00	29	24
		कच्चा रास्ता	00	04	70
		बी51/016	00	22	33
		कच्चा रास्ता	00	00	95
		बी51/017	00	17	23
		वाह देवलोग नदी	00	00	61
		बी51/018	00	14	01
		कच्चा रास्ता	00	00	84
		बी51/019	00	23	40
		वाह देवलोग नदी	00	02	95
		बी51/020	00	09	90
		बी51/021	00	10	09
		वाह देवलोग नदी	00	02	00
		बी51/022	00	15	18
		बी51/023	00	06	95
		बी51/024	00	29	35
		बी51/025	00	00	20
		बी52/026	00	44	59
		बी52/027	00	07	50
32	नोंगहली	बी52/001	00	05	54
		बी52/002	00	30	40

	नोंगहली	बी52/003	00	35	15
	(जारी...)	बी52/005	00	50	55
		पक्का रास्ता	00	02	91
		बी53/006	00	10	01
		आर.सी.सी. फुटपाथ	00	00	49
		बी53/007	00	14	66
		बी53/008	00	18	90
		फुटपाथ	00	03	05
		बी53/009	00	00	55
		बी53/010	00	01	18
		बी53/011	00	00	20
		बी53/012	00	86	58
		नाला	00	06	40
		कच्चा रास्ता	00	02	61
		नाला	00	01	28
		बी54/013	00	42	59
		नाला	00	02	95
		बी54/014	00	12	18
		नाला	00	06	57
		बी54/015	00	70	26
		बी54/016	00	10	57
33.	मौर्यगकनेंग मौइओंगसुंग	उमखेन नदी	00	15	17
		बी54/001	00	32	70
		बी55/001	00	07	10
		बी55/002	00	23	16
		बी55/003	00	02	38
		बी55/004	00	30	50

	मौर्यगकनेंग मौइओंगसुंग	बी55 / 005	00	09	47
	(जारी...)	बी55 / 006	00	39	72
		कच्चा रास्ता	00	00	63
		बी55 / 007	00	05	78
		बी55 / 008	00	15	71
		बी56 / 009	00	00	97
		बी56 / 010	00	38	54
		कच्चा रास्ता	00	01	30
		बी56 / 011	00	50	32
		बी56 / 012	00	61	96
		बी56 / 013	00	17	27
		बी56 / 014	00	06	02
		सुंग नदी	00	06	83
		उमखेन नदी	00	15	17

[फा. सं. एल—14014 / 40 / 2022—जीपी—II(ई—41758)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2022

S.O. 1050(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.4356(E) dated the 03.09.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 20.10.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE					
C.D. Block : Mawryngkneng		District:- East Khasi Hills	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
31.	Diengpasoh Jaroit	B48/001	00	10	03
		B48/002	00	17	26
		B48/003	00	20	31
		Nongthymmai River	00	04	06
		B49/003	01	37	45
		Nala	00	02	21
		Cart Track	00	00	60
		B50/004	00	28	41
		B50/005	00	12	83
		B50/006	00	21	21
		Cart Track	00	01	00
		B50/007	00	01	73
		B50/008	00	05	42
		B50/009	00	06	99
		B50/010	00	13	74
		B50/011	00	13	71
		Wah-Dewiong Nala	00	02	03
		B50/012	00	00	20
		B50/013	00	04	96
		Cart Track	00	01	31
		Wah-Dewiong Nala	00	07	32
		B50/014	00	21	06
		B50/015	00	29	24
		Cart Track	00	04	70
		B51/016	00	22	33
		Cart Track	00	00	95

	Diengpasoh Jaroit	B51/017	00	17	23
	(Contd...)	Wah-Dewiong River	00	00	61
		B51/018	00	14	01
		Cart Track	00	00	84
		B51/019	00	23	40
		Wah-Dewiong River	00	02	95
		B51/020	00	09	90
		B51/021	00	10	09
		Wah-Dewiong River	00	02	00
		B51/022	00	15	18
		B51/023	00	06	95
		B51/024	00	29	35
		B51/025	00	00	20
		B52/026	00	44	59
		B52/027	00	07	50
32	Nonghali	B52/001	00	05	54
		B52/002	00	30	40
		B52/003	00	35	15
		B52/005	00	50	55
		Asp. Road	00	02	91
		B53/006	00	10	01
		RCC Footpath	00	00	49
		B53/007	00	14	66
		B53/008	00	18	90
		Footpath	00	03	05
		B53/009	00	00	55
		B53/010	00	01	18
		B53/011	00	00	20
		B53/012	00	86	58
		Nala	00	06	40
		Cart Track	00	02	61
		Nala	00	01	28

	Nonghali	B54/013	00	42	59
	(Contd...)	Nala	00	02	95
		B54/014	00	12	18
		Nala	00	06	57
		B54/015	00	70	26
		B54/016	00	10	57
33	Mawryngkneng Mawionsung	Umkhen River	00	15	17
		B54/001	00	32	70
		B55/001	00	07	10
		B55/002	00	23	16
		B55/003	00	02	38
		B55/004	00	30	50
		B55/005	00	09	47
		B55/006	00	39	72
		Cart Track	00	00	63
		B55/007	00	05	78
		B55/008	00	15	71
		B56/009	00	00	97
		B56/010	00	38	54
		Cart Track	00	01	30
		B56/011	00	50	32
		B56/012	00	61	96
		B56/013	00	17	27
		B56/014	00	06	02
		Sung River	00	06	83
		Umkhen River	00	15	17

[F. No. L-14014/40/2022-GP-II (E-41758)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.